एक नजर में

नर्सिंग घोटाले में जांच के आदेश जारी

भोपाल. भोपाल में कथित फर्जी अस्पतालों व अवैध नर्सिंग कॉलेजों के संचालन का मामला एक बार फिर सामने आया है. इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की लिखित शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने भोपाल के सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारियों पर भौतिक सत्यापन की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोपों को गंभीरता से लिया है. पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में पुलिस उपायुक्त, भोपाल को विस्तृत जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

वक्फ बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष अलीम कुरैशी गिरफ्तार

भोपाल. जिला वक्फ बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष अलीम कुरैशी को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. शाहजांनाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया. कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड में फर्जी नियुक्ति पत्रों और कूट रचित दस्तावेजों के ज़रिये शिकायतें कर ब्लैकमेलिंग का कार्य करने वाले अलीम कुरैशी पर धांधली की कई शिकायतें हैं। सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोपी अलीम कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.

चौक क्षेत्र से हटाए गए अतिक्रमण

नये साल में प्रशासन और नगर निगम की दूसरी बड़ी कार्रवाई

पुराने शहर में लौटी रौनक

भोपाल, 21 जनवरी. पुराने शहर के चौक बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के तर्ज पर की गई.

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के सामंजस्य से संभव हो सकी. सुबह इस दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध भी किया. हालाकि कुछ संतुष्ट भी नजर आए. पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई शाम तक जारी रही. व्यापारियों में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर हलचल रही,

अतिक्रमण दल ने पुराने शहर सोमवारा से कार्रवाई शुरू की जो भवानी चौक, लखेरापुरा, मन्नूलाल धर्मशाला, लखेरापुरा चूड़ी मार्केट, गली द्वारकाधीश, लालसिंह पार्क चौराहा, नदीम रोड, नालंदा होटल रोड, जमील होटल रोड, इब्राहिमपुरा, जामा मस्जिद, पीपल चौक, सराफा चौक, सुभाष चौक, मालीपुरा आदि सहित अन्य क्षेत्रों में शाम तक चलती रही. .

वाहनों को होगी आसानी

इस कार्रवाई से अब सड़कें खुली और चौड़ी नजर आ रहीं हैं. पुराने शहर के बाजारों में वर्षों बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आगे शेड ठेले और अन्य माध्यम से अतिक्रमण किया था. कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने दुकाने, शेड, पटले, ठेले, गुमठी, पान पार्लर, काउंटर, बोर्ड, बेंच, कुर्सी, स्टूल, टेबिल आदि को हटाया साथ ही रास्तों पर रखी गई डमी, टंगन, प्लास्टिक, पन्नी आदि सहित 9 ट्रक सामान जप्त किया.

सांसद के प्रयास से हटाया गया अतिक्रमण

आलोक शर्मा ने महापौर रहते ही शहर को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य शुरू किया था. अब सांसद बनते ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे, इसके लिए कई बार कलेक्टर सहित पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई. इन बैठकों का परिणाम आज शहर की जनता और व्यापारियों के सामने है.

गौकशी को लेकर महापौर के खिलाफ प्रदर्शन

भोपाल. बजरंग दल ने बुधवार को महापौर के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया. दल के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर कालिख पोतकर अपनी नाराजगी व्यक्त की. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अनुसार एक माह पहले शहर में मांस से भरा कंटेनर पकडा गया था. गौमांस से भरा कंटेनर नए स्लाटर हाउस से भरा गया था, नगर निगम ने इसे बनाने की परमिशन दी थी. महापौर नगर निगम की प्रमुख है. इसलिए उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है. उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए. दल के नीरज प्रजापति ने कहा कि जब तक महापौर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा.

शूटिंग संस्था के खिलाफ केस दर्ज

▸ कारतूसों का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने का आरोप

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 21 जनवरी. रातीबड़ थाना पुलिस ने शूटिंग संस्था नेशनल राइफल एसोसिएश ऑफ इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है.

शूटरों को बेंचे गए कारतूसों का रिकॉर्ड मेनटेन नहीं करना और शस्त्र लाइसेंस में कारतूसों की एंट्री नहीं करने के आरोप के चलते पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत की केस दर्ज किया है. मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के खिलाफ प्रदेश पुलिस ने आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि एनआरएआई अपनी भोपाल स्थित शूटिंग रेंज पर शूटर्स को शस्त्र लाइसेंस में एंट्री किए बिना बड़ी मात्रा में कारतूस बेच रही थी. जांच के मुताबिक कारतूसों की बिक्री का विधिवत रिकॉर्ड नहीं रखा गया, जो आर्म्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है.

रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के साथ साढ़े 5 लाख की ठगी

भोपाल. ईंटखेड़ी थाना पुलिस ने एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के साथ हुई सायबर ठगी के मामले में केस दर्ज किया है. जालसाजों ने करीब साढ़े 5 लाख रुपये की चपत पीड़ित को लगा दी है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी मोबाइल फोन धारक की तलाश शुरू कर दी है. मिली जानकारी के मुताबिक लांबाखेड़ा में रहने वाले नरेंद्र रैकवार रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं.

कांग्रेसजनों ने स्लॉटर हाउस का किया निरीक्षण

विशेष संवाददाता

भोपाल,21 जनवरी. कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिन्सी स्थित स्लॉटर हाउस का नरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आने का दावा किया गया.

प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि जहाँ सामने का मुख्य द्वार सीलबंद दर्शाया गया था, वहीं पीछे का गेट खुला मिला. इससे यह संकेत मिला कि प्रशासन को गुमराह करते हुए पीछे के रास्ते से अनैतिक और अवैध गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं. स्लॉटर हाउस संचालक असलम चमड़ा का निजी वाहन तथा नगर निगम के वाहन परिसर के बाहर खड़े पाए गए. अन्य अनियमितताएं भी इस दौरान दिखायी दीं.

बाइक सवार ने लूटा मोबाइल फोन

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 21 जनवरी. अशोका गार्डन पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात करने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. फरार आरोपी की तलाश करने में पुलिस जुटी है.

मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी आशीष जैन निवासी एकतापुरी ने शिकायत दर्ज कराई. फरियादी ने बताया कि वह एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं. लूट की घटना के पांच दिन पहले उनके साथ हुई थी. अपनी दुकान के बाहर जब वह फोन पर बात कर रहे थे. इस बीच पीछे से तेज रफ्तार में आए बाइक सवार ने उनके हाथ से फोन छीन लिया. वारदात करते हुए बाइक सवार तेजी से सुभाष चौराहे की तरफ आगे निकल गया. मामले की पड़ताल के बाद पुलिस ने अज्ञात लुटेरे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगालते हुए पुलिस आरोपी की तलाश करने में जुटी है.

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

भोपाल. ऐशबाग थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बुधवार की सुबह युवक की पत्नी ने फंदे पर उसे लटकते देखा. आनन-फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मिली जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय धीरेन्द्र सिंह जाट शालीमार स्लेयिंग अपार्टमेंट में पत्नी के साथ रहते थे. मूलत: ग्वालियर निवासी धीरेन्द्र बीटेक करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे थे. तीन साल पहले धीरेन्द्र की शादी हुई थी. धीरेन्द्र के घर से पुलिस को मौके पर सुसाइड नोट बरामद नहीं हो सका है.

सिंघार ने निर्वाचन आयोग को चेताया

विशेष संवाददाता

भोपाल, 21 जनवरी. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची के बाद सामने आई व्यापक, सिस्टम-जनित विसंगतियों पर गंभीर चिंता जताई है.

उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में स्पष्टता के अभाव से प्रदेशभर के मतदाताओं में भय और भ्रम की स्थिति बन रही है. सिंघार ने बताया कि लगभग हर जिले में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम तथाकथित विसंगति वाली सूचियों में डाले गए हैं. इनमें छह से अधिक बच्चों का उल्लेख, पिता के नाम में विसंगति, माता-पिता और मतदाता के बीच 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का आयु अंतर

तथा मतदाता और दादा-दादी के बीच 40 वर्ष से कम का आयु अंतर जैसी प्रविष्टियाँ शामिल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये विसंगतियाँ केवल डेटा-आधारित, सिस्टम द्वारा उत्पन्न संकेतक हैं, जिनका उद्देश्य मात्र सत्यापन के लिए मामलों को चिन्हित करना है, न कि मतदाता पात्रता पर कोई निष्कर्ष निकालना. इसके बावजूद इनके बड़े पैमाने पर सामने आने से लाखों मतदाताओं में चिंता और मानसिक तनाव बढ़ा है. नेता प्रतिपक्ष के अनुसार निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा नोटिस देना, भौतिक सत्यापन करना और सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है.

> उन्होंने इसे मताधिकार पर सीधा खतरा बताते हुए त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की. साथ ही सभी निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट लिखित निर्देश, एकरूप सत्यापन प्रक्रिया, बीएलओ के लिए विशेष प्रशिक्षण, पारदर्शी जन-संचार और निर्वाचन क्षेत्रवार प्रगति बुलेटिन जारी करने की मांग की. सिंघार ने कहा कि प्रशासनिक अस्पष्टता के कारण वास्तविक मतदाताओं का सामूहिक बहिष्कार लोकतंत्र में अस्वीकार्य है.